न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 11/2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 ईशराराम पुत्र लाखाराम 2 हड़मानराम पुत्र गोरधनराम 3 समदा पत्नी गोरधनराम 4 दुर्गाराम 5 अचलाराम पिसरान चोलाराम 6 ईशराराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी सरली कला तहसील व जिला बाडमेर।		1 चूनाराम 2 देवाराम पिसरान खींयाराम 3 ठाकराराम 4 खेताराम 5 नारायणराम 6 प्रेमकुमार पिसरान कुम्भाराम 7 देवाराम पुत्र टीकमाराम 8 पूराराम पुत्र हेराजराम जाति जाट निवासी सरली कला तहसील व जिला बाडमेर 9 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री वीरमाराम चौधरी, वकील प्रार्थीगण।
2 श्री प्रेम प्रजापत, वकील अप्रार्थी संख्या 07।

आदेश

दिनांक 23-02-21

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मूल राजस्व ग्राम सरली पटवार मण्डल सरली तहसील व जिला बाडमेर के मूल खसरा संख्या 72 वर्तमान खसरा संख्या 691/72 व 693/72 कुल रकबा 107.06 बीघा भूमि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 08 की पैतृक खातेदारी आई हुई है, जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 08 का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि में नामान्तकरण संख्या 593 के जरिये राजस्थान सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में रकबा 07.17 बीघा भूमि सड़क के लिए तरमीम कर नया खसरा संख्या 72/1 कायाम किया गया तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 08 के खसरा संख्या 72 रकबा 36.16 बीघा तथा खसरा संख्या 72/2 रकबा 66.13 बीघा कायम किये गये। वर्तमान में राजस्व ग्राम सरली कलां के खसरा संख्या 691/72 रकबा 32.16 बीघा तथा खसरा संख्या 693/72 रकबा 66.13 बीघा भूमि है। उक्त खसरों में पटवारी हल्का द्वारा लठ्ठा ट्रेस में रकबा ज्यादा होने के बावजूद खसरा संख्या 693/72 में खतौनी के रकबे में गलत तरमीम कर दी गई तथा खसरा संख्या 691/72 का रकबा कम होने के बावजूद खतौनी में ज्यादा रकबा दर्ज कर दिया गया। हल्का पटवारी ने अपनी मनमर्जी से तरमीम कर दी गई परन्तु मौके पर तथा लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम में भारी अन्तर है। लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम अनुसार खतौती में तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण [illegible] जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 07 उपस्थित। [illegible] वकील अप्रार्थी संख्या 07 जवाब प्रस्तुत करना नही चाहते सीधे बहस करना चाहते है। वकील अप्रार्थी संख्या 07 ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार [illegible] ट्रेस में अशुद्ध तरमीम का दुरूस्त कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम शुद्ध की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.22 16:10:59 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तहसीलदार बाडमेर से मौके व रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलव की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा पत्रांक भू.अ./2020/984 दिनांक 19.03.2021 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सरलीकलां पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 693/72 रकबा 66.13 बीघा व खसरा संख्या 691/72 रकबा 32.16 बीघा की जांच करने पर पाया गया कि मूल खसरा संख्या 72 में नामान्तकरण संख्या 593 दिनांक 08.06.1987 की स्वीकृतिनुसार सड़क की तरमीम ना. क. होने से खसरा संख्या 72/1 रकबा 07.17 बीघा गै.मु. सड़क व खसरा संख्या 72 रकबा 32.16 बीघा खसरा संख्या 72/2 रकवा 66.13 बीघा खातेदारी में दर्ज हो गई। ग्राम सरली कलां के खसरा संख्या 72 (नया खसरा संख्या 691/72) व खसरा संख्या 72/2 (नया खसरा संख्या 693/72) का रकबा खतौनी में क्रमशः 32.16 व 66.13 बीघा दर्ज हो गया लेकिन लठ्ठा में तरमीम खसरा संख्या 691/72 की 24.03 व खसरा संख्या 693/72 की 75.06 बीघा की हो गई जो मौके के अनुसार सही है। खसरा संख्या 693/72 रकबा 66.13 बीघा के स्थान पर 75.06 बीघा व खसरा संख्या 691/72 रकबा 32.16 बीघा के स्थान पर 24.03 बीघा लठ्ठे में दर्ज अनुसार खतौनी में दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा सरलीकलां पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर की खतौनी में खसरा नम्बर 693/72 एवं खसरा नम्बर 691/72 का दर्ज रकवा लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम एवं मौके के अनुसार नही है। तहसीलदार बाडमेर ने खसरा नम्बर 693/72 का रकबा 66.13 बीघा के स्थान पर 75.06 बीघा व खसरा नम्बर 691/72 का रकबा 32.16 बीघा के स्थान पर 24.03 बीघा खतौनी में अंकित किये जाने का प्रस्ताव दिया है। उक्त प्रस्ताव पर उभय पक्ष सहमत है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जाचं प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम सरलीकलां पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 693/72 रकवा 66.13 बीघा के स्थान पर 75.06 बीघा व खसरा संख्या 691/72 रकबा 32.16 बीघा के स्थान पर 24.03 बीघा खतौनी अभिलेख में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद सुनिश्चित करावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.22 16:10:59 IST
Reason: SelfAttested

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 23.2.21 को इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर